THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) There are eight Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts under the Central Government and they all have All India Jurisdiction.

(b) Information is being collected and would be placed on the table of the House.

(c) The Central Government has no proposal at present for opening new Labour Courts at any place. However, the number of disputes and the need for quick disposal of cases will be kept in view in considering the need for opening new Labour Courts from time to time.

Setting up of Aluminium Plant in Rewa

7634. SHRI Y. P. SHASTRI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state whether the Industrial Development Corporation of Madhya Pradesh has emphasized the necessity and recommended the setting of a small aluminium plant in Rewa District of M.P. keeping in view the availability of bauxite in abundance near Semaria Village?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): Government is not aware of any such proposal.

Alumina Project in A. P.

7635. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the proposed alumina project in Andhra Pradesh will come up in the Sixth Plan;

(b) if so, how much power will it consume; and

(c) the details of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c). A feasibility study for setting up an alumina plant of about 600,000 tonnes per annum capacity based on bauxite deposits in Andhra Pradesh has only recently been commissioned. Details, including requirements of power, can be given only on the completion of the feasibility study, which is expected to take about 18 months.

विकासशील देशों से आर्थिक सम्बन्ध

7636. **श्री राम सेवक हजारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित देशों के प्रयासों का मुकाबला करने हेतु विकासशील देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने तथा तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) एशियाई साझा मंडी पर प्रभुत्व स्थापित करने में क्या बाधायें हैं और इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सरकार का यह निश्चित मत है कि विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध संवर्धित होने से और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान से सभी विकासशील देशों को अपनी सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने में परस्पर लाभ पहुंचेगा। इसी के अनुरुप भारत विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की विविध बहु-उद्देशीय योजनाओं में शामिल है। भारत 'भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम' जैसे विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय आधार पर अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता भी देता है। सरकार इस प्रकार के सहयोग को उन्नत देशों के साथ सहयोग के विकल्प के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे सहयोग के परम्परागत रूपों का एक अतिरिक्त आयाम मानती है। सामूहिक आत्म विश्वास से ये विकासशील देश उन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे जोकि बाहरी तत्वों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के मार्ग में आ गई है।

(ख) और (ग). एशियाई साझा मंडी की स्थापना के बारे में कुछ बात चली थी। सरकार का मत यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब कि सम्बद्ध सभी देश इसमें सहयोग देने को तत्पर हों। एशियाई साझा मंडी के बिना भी एशियाई क्षेत्रों के देशों में द्विपक्षीय आधार पर स्थापित व्यवस्थाओं के द्वारा अथवा एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के तत्वाधान में एशियाई क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है।

Enquiry Against Indian Red Cross Society

7637. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Shri Subimal Dutt has enquired into the allegations made against the officials of the Indian Red Cross Society;

(b) if so, whether enquiry is completed; and

(c) the details of the findings by Shri Subimal Dutt?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). Shri Subimal Dutt was appointed by the Indian Red Cross Society to enquire into certain allegations relating to (i) alleged mis-management in the administration of the Society and (ii) Red Cross Relief Operation during 1971-72. He commenced his inquiry in December, 1977 and withdraw on 10-2-1978 without completing it. He has stated that in future he will not be associated with the enquiry.

कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता

7639. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1952 तथा 1977 में देश की कुल जनसंख्या में कृषि-श्रमिकों का पृथक-पृथक प्रतिशत कितना था तथा कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय कितनी है और क्या सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : 1951 और 1971 के दौरान दश-वार्षिक जनगणना के आधार पर 1952 और 1977 के दौरान कुल जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता क्रमशः 8 और 9 के लगभग आंकी जा सकती है।

1976-77 वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में हलवाहों या कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी दरों (वार्षिक औसत) से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी-दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन निर्धारण तथा संशोधन किया जाता है। चूंकि कृषि सम्बन्धी अधिकांश रोजगार राज्य क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए, राज्य सरकारों को समय समय पर अधिनियम के उपबन्धों के आवधिक पुनरीक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के लिए कहा जाता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में हलवाहों या कृषि मजदूरों (पुरुष) की दैनिक मजदूरी दरें (वार्षिक औसतन)

क्रमांक	राज्य	1976-77
		(रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.56
2.	असम	5.59